

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ-सह-नियंत्री पदाधिकारी,
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना
संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 28-12-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,84,55,592/- (एक करोड़ चौरासी लाख पचपन हजार पाँच सौ बेरान्चे रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-15.05.17, 32(7)ब दिनांक-12.07.17, 49(7)ब दिनांक-24.08.17, 80(7)ब दिनांक-25.09.17 एवं 85(7)ब दिनांक-13.10.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,84,55,592/- (एक करोड़ चौरासी लाख पचपन हजार पाँच सौ बेरान्चे रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरण संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 के अन्तर्गत आय-व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ सह नियंत्री पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी एवं जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


7. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहाँ पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।



3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।



सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, /



28/12/17
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक : 122(7)Q

पटना, दिनांक : 28-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


28/12/17
सरकार के विशेष सचिव


विवरण-1

द्वितीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय मलेशिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष प्रभार	विद्युत पोषाक	वर्दी/ पोषाक	प्रशिक्षण व्यय	दवा भंडार	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(06-01)	(11-01)	(13-01)	(13-03)	(13-04)	(13-06)	(20-03)	(21-02)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य मलेशिया कार्यालय, पटना	160000	217600	14400	1800	2400	2400	398600	39040	0	10000	0	0	0	0	0	447640	1521/23.10.17 1789/20.12.1
2	क्षेत्रीय मलेशिया पदा०, पटना प्रमंडल, पटना	45000	61200	4500	1800	500	800	113800	0	0	10000	0	0	0	0	0	123800	94/6.12.1
3	अपर मु० चि० पदा०, पटना	900000	1224000	90000	2000	13500	13500	2243000	0	0	5000	0	0	0	0	10000	2258000	470/3.10.1
4	अपर मु० चि० पदा०, भागलपुर	160000	217600	16000	0	2400	2400	398400	0	0	5000	0	0	0	0	0	403400	574/26.9.1
5	अपर मु० चि० पदा०, नालन्दा	1200000	1632000	120000	0	18000	18000	2988000	0	0	0	1750	0	5000	5262	0	3000012	544/28.11.1
6	अपर मु० चि० पदा०, मुजफ्फरपुर	120000	163200	12000	0	1800	1800	298800	0	0	0	0	31940	0	0	0	330740	846/27.11.1
7	अपर मु० चि० पदा०, औरंगाबाद	250000	340000	25000	0	3750	3750	622500	0	0	0	0	0	0	0	0	622500	432/16.11.1
8	अपर मु० चि० पदा०, सिवान	1300000	1690000	130000	0	19500	19500	3159000	0	0	0	12500	10000	25000	0	0	3206500	553/6.11.1
9	अपर मु० चि० पदा०, कटिहार	800000	1088000	80000	0	12000	12000	1992000	0	0	10000	0	0	0	0	0	2002000	391/4.9.1
10	अपर मु० चि० पदा०, गया	600000	816000	60000	0	9000	9000	1494000	0	0	0	0	0	0	0	0	1494000	335/23.11.1
11	अपर मु० चि० पदा०, नवादा	600000	816000	60000	0	9000	9000	1494000	0	10000	10000	0	0	10000	0	0	1524000	430/16.12.1
12	अपर मु० चि० पदा०, पूर्णिया	1200000	1632000	120000	0	18000	18000	2988000	0	50000	0	0	5000	0	0	0	3043000	621/7.11.1
	कुल	7335000	9897600	731900	5600	109850	110150	18190100	39040	60000	50000	14250	46940	40000	5262	10000	18455592	

(एक करोड़ चौरासी लाख पचपन हजार पाँच सौ बरान्चे) रु० मात्र

122 (509)

28-12-17

28/12/17

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति विपत्र कोड- 20-2210061010003

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	146640000	78300000	7335000	85635000	61005000
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	192267000	106339000	9897600	116236600	76030400
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	16777000	8417990	731900	9149890	7627110
4	परिवहन भत्ता (0003-01-05)	407000	179000	5600	184600	222400
5	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	1692000	937200	109850	1047050	644950
6	अन्य भत्ता (0003-01-07)	1678000	937200	110150	1047350	630650
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	359461000	195110390	18190100	213300490	146160510
7	भजदूरी (0003-02-01)	5000000	5000000	0	5000000	0
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	500000	434944	39040	473984	26016
9	यात्रा व्यय (0003-11-01)	1000000	435000	60000	495000	505000
10	कार्यालय व्यय (0003-13-01)	600000	415000	50000	465000	135000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0003-13-02)	200000	126500	0	126500	73500
12	दूरभाष (0003-13-03)	100000	85750	14250	100000	0
13	विद्युत प्रभार (0003-13-04)	500000	453060	46940	500000	0
14	विधि प्रभार (0003-13-05)	100000	100000	0	100000	0
15	वर्दी / पोषाक (0003-13-06)	306000	155000	40000	195000	111000
16	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	500000	500000	0	500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	2500000	0	5262	5262	2494738
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0003-21-01)	100000	100000	0	100000	0
19	दवा भण्डार (0003-21-02)	800000	0	10000	10000	790000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपकरण (0003-52-01)	1000000	0	0	0	1000000
	कुल योग:-	372668000	202915644	18455592	221371236	151296764

122(7)A

28-12-17

सरकार के विशेष सचिव

(5)

12/12/17